

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 2014—श्रावण 15, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-43-2014-1-पांच (32).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9-ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2011-1-पांच (13), दिनांक 1 अप्रैल 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द “और तेन्दूपत्ता” का लोप किया जाए.

2. यह संशोधन दिनांक 15 अगस्त 2014 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-43-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-43-2014-1-पांच (32), दिनांक 6 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 6th August 2014

No. F-A-3-43-2014-1-V(32).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9-C of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-3-15-2011-1-V (13) dated 1st April 2012, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, the words “and Tendupatta” shall be omitted.

2. This amendment shall come into force from 15th August 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.